डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026 आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-37, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित 2 अप्रैल 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

रेलवे की रफ्तार, ऊर्जा का संचार, सड़कों का विस्तार छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात

प्रधानमंत्री का दौराः मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जताया आभार, तेजी से पूरी हो रही हमारी गारंटियां, 3 लाख मकान बन चुके...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने मोहभट्ठा मैदान में जनसभा की। भारत माता की जय, मां महामाया और जय जोहार से सभा की शुरुआत करते हुए नए वर्ष की शुभ शुरुआत और नवरात्र के पहले दिन उन्होंने माता महामाया की भूमि और माता कौशल्या के मायके के रूप में छत्तीसगढ़ के महत्व पर बल दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान राम का मातृ परिवार बताते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाएं रेल, सड़क, ऊर्जा, ईंधन, आवास और शिक्षा से जुड़ी हैं, जो न केवल लोगों के जीवन में खुशहाली और सुविधा का नया सूर्योदय लाएंगी, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की नींव भी मजबूत करेंगी।

आदिवासी विकास में विशेष योगदान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-मन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा और दशा दी है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है।

छत्तीसगढ़ विकास परियोजनाएँ

लोकार्पण परियोजनाएँ:
- रेलवे परियोजनाएं: 1,188.00 करोड़
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं: 954.36 करोड़
- विद्युत परियोजनाएं: 568.00 करोड़
- शिक्षा परियोजनाएं: 119.65 करोड़
- कुल लागत: 2,829.01 करोड़

शिलान्यास परियोजनाएँ:
- पावर परियोजना: 9,791.00 करोड़
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना: 322.4 करोड़
- रेलवे परियोजनाएं: 1,507.00 करोड़
- पेट्रोलियम परियोजनाएं: 1,285.00 करोड़
- प्राकृतिक गैस परियोजनाएं: 2,212.00 करोड़
- कुल लागत: 15,117.40 करोड़

भूमिपूजन परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (2x660 MW) SCTPP STAGE-IV, कोरबा वेस्ट
कुल लागत: 15,800.00 करोड़

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी शक्ति से जुटी है।

छत्तीसगढ़ का मजबूत कदम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों—ऊर्जा, खनिज और कृषि—के माध्यम से इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जन-कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। इससे गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिली है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेल, सड़क, एयर कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार हुआ है, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति मिली है। औद्योगिकीकरण, स्टार्टअप, आईटी और पर्यटन के क्षेत्रों में भी प्रदेश को नई पहचान मिल रही है।

नया रायपुर मेमू ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही 2,690 करोड़ से अधिक की लागत वाली तीन रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंदिर हसौद से अभनपुर-रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस सुविधा से नया रायपुर जाने वाले लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। रायपुर से अभनपुर के बीच मात्र 10 रुपये में सफर का मौका दे रही है। यह ट्रेन रोज़ाना दो फेरे लगाएगी और यात्रियों को आधे घंटे में मंज़िल तक पहुंचाएगी। इसके अलावा, अभनपुर से यात्री मात्र 75 रुपये में नागपुर तक भी यात्रा कर सकेंगे।

रोजगार और नियोजन का एप लॉन्च

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट
https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

रोजगार क्रांति

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों से किया संवाद, नैसकॉम, IESA और टाई बैंगलोर के साथ किया एमओयू साइन

बेंगलुरु की टेक कंपनियों ने किए 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान छत्तीसगढ़ को 3700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस बैठक में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल सेक्टर की प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई। प्रदेश सरकार ने नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) और टाई बैंगलोर के साथ एमओयू साइन किया, जिससे अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

प्रमुख निवेश प्रस्ताव
- GPSR आर्या प्रा. लि. – 1350 करोड़ रुपए (ग्रीन फ्यूल)
- कीन्स टेक्नोलॉजी – 1000 करोड़ रुपए (आईटी/आईटीईएस)
- क्लेन पैक्स – 500 करोड़ रुपए (टेक्सटाइल)
- ब्रिटानिया – 200 करोड़ रुपए (फूड प्रोसेसिंग)
- गोकुलदास एक्सपोर्ट्स व SRV निट टेक 200 करोड़ रुपए (टेक्सटाइल)
- BEML – 200 करोड़ रुपए (इंजीनियरिंग)

डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित

"छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, सुलभ नीतियां और उत्कृष्ट अधोसंरचना उपलब्ध है। सरकार ने कागजी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

रिक्रूटमेंट नोटिस

RFCL
पदः सीनियर मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर
पद संख्याः 40
अंतिम तिथिः 10 अप्रैल 2025
rfcl.co.in

एग्जिम बैंक
पदः मैनेजमेंट ट्रेनी सहित अन्य
पद संख्याः 28
अंतिम तिथिः 15 अप्रैल 2025
www.eximbankindia.in

BHU
पदः ग्रुप सी
पद संख्याः 199
अंतिम तिथिः 17 अप्रैल 2025
bhu.ac.in

CSBC
पदः कॉन्स्टेबल सहित अन्य
पद संख्याः 19838
अंतिम तिथिः 18 अप्रैल 2025
csbc.bih.nic.in

BSSC
पदः सब-स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर
पद संख्याः 682
अंतिम तिथिः 19 अप्रैल 2025
bssc.bihar.gov.in

OPSC
पदः मेडिकल ऑफिसर
पद संख्याः 5248
अंतिम तिथिः 24 अप्रैल 2025
opsc.gov.in

ASRB NET 2025
पदः ARS सहित अन्य
पद संख्याः 582
अंतिम तिथिः 21 मई 2025
asrb.org.in

वर्ष-22, अंक-37, रायपुर

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' तहत तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम के लिए रवाना करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय

रोजगार और रोमांच का नया केंद्र बनेगा जशपुर

जशपुर की छवि को राष्ट्रीय पर्यटन पटल पर उकेरने मुख्यमंत्री की पहल, तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और साथ ही जिले के लिए तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक (स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज), प्राकृतिक एवं वन्य जीव (नेचर एंड वाइल्ड लाइफ) और साहसिक पर्यटन (एडवेंचर) का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं पोंटून बोट में सवार होकर मधेश्वर महादेव के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया और कहा कि मयाली एडवेंचर जोन अब रोमांच और रोजगार का केंद्र बनेगा। यहाँ एक्वा साइक्लिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी और बम्पर बोट जैसी साहसिक गतिविधियों की शुरुआत की गई है।

तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों की झलक

स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट : यह सर्किट कोतेबीरा से शुरू होकर तमता, कैलाश गुफा, मधेश्वर पहाड़, शारदा धाम और ग्वालिन सरना जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। यह श्रद्धालुओं और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा।

प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट : प्रकृति प्रेमियों के लिए यह सर्किट मकरभंजा जलप्रपात, बादलखोल अभ्यारण्य, रानीदाह और गुल्लू जलप्रपात, सारुडीह चाय बागान जैसे स्थलों से होकर गुजरेगा। पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा।

साहसिक पर्यटन सर्किट :
एडवेंचर के शौकीनों के लिए दनगरी कैंप साइट, बेलवार जलप्रपात, देशदेखा हिल कैंप, सरना इको एथेनिक रिसोर्ट और क्लाइम्बिंग सेक्टर जैसे स्थानों को शामिल किया गया है। यहाँ ट्रेकिंग, क्लाइम्बिंग और नेचर-कैम्पिंग जैसी गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है।

जशपुर के युवा सीखेंगे पर्वतारोहण

जशपुर के जनजातीय युवाओं को अब हिमाचल प्रदेश के मियाड़ घाटी में पर्वतारोहण, रोप क्लाइम्बिंग जैसी गतिविधियों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ से लौटने के बाद ये युवा अन्य स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे पर्यटन और युवाशक्ति को मजबूती मिलेगी।

पर्यटन ने बदली जिंदगी

मयाली नेचर कैंप में कार्यरत लक्ष्मी और तुलसी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि पर्यटन से अब उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है और उनके परिवारों को भी इससे आर्थिक मजबूती मिली है। महिलाओं ने मधेश्वर महादेव की काष्ठ-निर्मित कलाकृति भेंट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

पर्यटन से रोजगार

यह पहल पर्यटन को सिर्फ सैर-सपाटे का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बना रही है। जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और जनजातीय आत्मबल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की यह ऐतिहासिक शुरुआत आने वाले वर्षों में जिले की पहचान को नया आयाम देगी।

रेलवे में 9,970 पदों पर भर्ती 10 अप्रैल से आवेदन शुरू

भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) के 9,970 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2025 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास व आईटीआई डिप्लोमा है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तय की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साइकोलॉजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। वेतन 19,900 रुपए प्रतिमाह रहेगा। समय पर आवेदन करें और अधिक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

एग्जिम बैंक में भर्ती, 15 अप्रैल तक करें आवेदन

एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT), डिप्टी मैनेजर और चीफ मैनेजर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 15 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, पीजी या बीई/बीटेक डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट शामिल हैं। सैलरी 48,480 से 1,05,280 रुपए तक होगी। आवेदन करने के लिए इंडिया एग्जिम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.eximbankindia.in पर जाएं। होम पेज पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।

इनकम टैक्स विभाग में 56 पदों पर भर्ती

इनकम टैक्स विभाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्पोर्ट्स कोटे के तहत 56 पदों पर भर्ती निकली है। स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 5 अप्रैल 2025 तक incometaxindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। चयन स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर होगा। वेतन 18,000 से 81,100 रुपए तक होगा। न्यूनतम योग्यता 10वीं, 12वीं पास या ग्रेजुएशन है। आयु सीमा 18-27 वर्ष निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी।

बीएड-डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

प्रदेश में बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यापमं द्वारा आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के कॉलेजों में बीएड की 14,400 और डीएलएड की 6,720 सीटों पर दाखिला मिलेगा। दोनों कोर्स की मांग बीते वर्षों में बढ़ी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapam-profile.cgstate.gov.in पर विजिट करें।

एग्रीकल्चर व हार्टीकल्चर में प्रवेश के लिए पीएटी मई में

बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हार्टीकल्चर में प्रवेश के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) मई में आयोजित होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे 21 अप्रैल शाम 5 बजे तक पूरा किया जा सकता है। त्रुटि सुधार 22 से 24 अप्रैल तक किया जा सकेगा। इंदिरा गांधी कृषि विवि से संबद्ध 30 एग्रीकल्चर कॉलेजों में 2,500 सीटें और हार्टीकल्चर यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजों में 2,000 सीटें हैं। इसी तरह कामधेनु विवि में प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीवीपीटी) के लिए भी आवेदन जारी हैं। परीक्षा 15 मई को होगी। अधिक जानकारी व्यापमं की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पी.पी.टी. प्रवेश परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित प्री- पॉलीटेक्निक टेस्ट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शासकीय पॉलीटेक्निक, कोंडागांव एवं प्रदेश के विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 शाम 5:00 बजे तक है। परीक्षा तिथि 17 मई 2025 और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 22 अप्रैल 2025 है। विस्तृत जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.ogstate.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

ओडिशा में 5248 मेडिकल ऑफिसर भर्ती, आवेदन 24 तक

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (OPSC) ने 5248 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया opsc.gov.in पर 24 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस डिग्री और एक साल की इंटर्नशिप का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 32 वर्ष निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा में 200 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

छत्तीसगढ़

टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में प्रदेश को प्रथम स्थान

विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को 'टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान' में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया। विभिन्न मंत्रालयों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विजय दयाराम के. ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने टीबी मुक्त पंचायत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है।

स्वशासी सोसायटी के कार्यों में पारदर्शिता लाने ई-संपादन पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी सोसायटी का एकीकरण कर उसे अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। ई-संपादन पोर्टल के माध्यम से अब बैठकों के एजेंडा, कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन दर्ज किए जा सकेंगे। यूनिक आईडी प्रणाली के तहत भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी होगी और डेटा लॉकिंग फीचर से निर्णयों में छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। आई.सी. आई.सी.आई. बैंक द्वारा सी.एस.आर. मद में निःशुल्क विकसित इस पोर्टल से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा एवं जनहित के कार्यों में गति आएगी।

"देश का प्रकृति परीक्षण" में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के तहत मुंबई में "देश का प्रकृति परीक्षण" अभियान के प्रथम चरण का समापन हुआ, जहां छत्तीसगढ़ ने देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की, जिसे राज्य समन्वयक डॉ. संजय शुक्ला ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में 4.5 लाख से अधिक नागरिकों का परीक्षण किया गया। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को बधाई देते हुए सेवा कार्य जारी रखने का आह्वान किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को लेकर हुई चर्चा

बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं। आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज बना राज्य का पहला फ्री वाई-फाई युक्त शासकीय मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायगढ़ स्थित स्व. लखीराम अग्रवाल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन क्षेत्र को फ्री वाई-फाई ज़ोन बनाया गया है। यह सुविधा मरीजों को आभा एप से डिजिटल पंजीयन में मदद करेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि नेटवर्क समस्या के कारण मरीजों को कठिनाई हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह सुविधा शुरू की गई। यह पहल मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और मरीजों को त्वरित व सुगम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है।

भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के अवसर पर रायपुर स्थित कर्माधाम परिसर में विशेष डाक टिकट का विमोचन किया। यह डाक टिकट माता कर्मा के त्याग और भक्ति की राष्ट्रीय पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समाज के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि को बजट में शामिल करने की जानकारी दी। यह आयोजन साहू समाज के गौरव और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बना।

भोरमदेव महोत्सव, भक्ति गीत और नृत्य से सजी पहली शाम

भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ 26 मार्च की शाम हुआ। पहले दिन का कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू हुआ। स्कूली बच्चों ने विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इसके बाद बैगा नृत्य, बांसुरी वादन और कत्थक नृत्य ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया। बसंता बाई और उनके साथियों ने बैगा नृत्य पेश किया। गितिका बांसुरीवाल ने बांसुरी वादन किया। आशना दिल्लीवार और रीति लाल ने कत्थक नृत्य की प्रस्तुति दी। रात में भजन संध्या मुख्य आकर्षण रही। सुप्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी भक्ति संगीतमयी प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय बना दिया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक अनुराग शर्मा ने लोक और पार्श्व संगीत की प्रस्तुति दी।

बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बीजापुर में 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सुरक्षाबलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति – 2025 के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद छोड़ मुख्यधारा में लौटना स्वागतयोग्य है। सरकार ऐसे सभी लोगों के पुनर्वास के लिए तत्पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के 2026 तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने इसे केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि भरोसे की वापसी बताया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बालिकाओं के साथ सुनी 'मन की बात'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में गुरुकुल और नेतृत्व साधना केंद्र की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 120वीं कड़ी सुनी।

राष्ट्रीय

तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी देगी इंजन

भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग के मोर्चे पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिल रही है। अमेरिकी विमान इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक इस महीने के अंत तक 99 जीई-404 इंजनों में से पहला इंजन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपने की तैयारी में है। यह डिलीवरी दो साल की देरी के बाद हो रही है, जिससे भारतीय वायुसेना को काफी राहत मिलेगी। यह कदम तेजस एमके 1ए कार्यक्रम को गति देगा, जिसके तहत भारतीय वायु सेना को 83 विमानों की सप्लाई की जानी है।

अप्रैल से लागू होगी नई टोल नीतिः गडकरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से पहले एक नई टोल नीति लागू की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

साय महानदी जल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर बनी सहमति

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच महानदी जल बंटवारा विवाद का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति जताई। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने महानदी जल विवाद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने और इसके शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता खोजने पर सहमति जताई है। माझी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ के साथ विवाद है।

स्पेन में अक्षिता ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पुरस्कार

कोटा की अक्षिता ठाकुर ने स्पेन के बिलबाओ में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शानदार प्रस्तुति देकर सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पुरस्कार जीता। इस सम्मेलन में 700 से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मानव तस्करी प्रमुख चर्चा विषय रहा। अक्षिता ने अपने विचार प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा, कड़े कानूनों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उनके तर्कों और सुझावों को खूब सराहा गया, जिससे उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला।

एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरूआत

केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने जा रही है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को उनकी औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। UPS को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह लेगी, जिसमें पेंशन बाजार पर निर्भर होती थी। UPS सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है। कर्मचारी को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कम से कम 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, आतंकवाद से निपटने की मजबूत रणनीति पर जोर

नई दिल्ली में 19-20 मार्च को आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) की 14वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में आसियान देशों और उनके साझेदारों ने आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर जोर दिया। भारत और मलेशिया ने 2024-27 कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें 2026 में मलेशिया में टेबल-टॉप अभ्यास और 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा हुई।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनीं पावर लिफ्टर,तोड़े रिकॉर्ड

पंजाब की जसप्रीत कौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। तीन साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित जसप्रीत बढ़ते वजन से परेशान थीं। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या बढ़ रही थी। वजन कम करने की चुनौती के बीच पावर लिफ्टिंग शुरू की।

देश में निर्मित पहली एमआरआई मशीन दिल्ली के एम्स में लगेगी

भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन तैयार कर ली है, जिसे अक्टूबर तक एम्स दिल्ली में ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कदम से इससे इलाज की लागत कम होगी। वर्तमान में भारत 80-85% चिकित्सा उपकरणों को इंपोर्ट करता है, जिससे इलाज महंगा पड़ता है।

अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय नौसेना का पहला युद्धाभ्यास

इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत इंडियन ओशन शिप सागर पहल के अपना जहाज सुनैना पेट्रोलिंग पर भेजेगा। इसमें भारत सहित 10 देशों की नेवी के लोग क्रू में शामिल होंगे।

झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित सर्वेक्षण

झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित सर्वे किया जाएगा। परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कार्मिक विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग ने 4 मार्च को एजेंसी को नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया है।

फुले और सावित्रीबाई के लिए भारत रत्न का प्रस्ताव

महाराष्ट्र विस में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। मंत्री जयकुमार रावल ने प्रस्ताव पेश किया। एनसीपी विधायक छगन भुजबल और कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने इसका समर्थन किया।

बैंक खातों में चार नॉमिनी की अनुमति

नई दिल्ली संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। अब बैंक खाता धारक चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। राज्यसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित किया। दिसंबर 2024 में ये लोकसभा में पारित हो चुका है। यह संशोधन बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव लाएगा।

अंतरराष्ट्रीय

सूडान में सेना का राष्ट्रपति भवन पर फिर से कब्जा

सूडानी सेना ने खार्तुम के डाउनटाउन में राष्ट्रपति भवन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। हाल के हफ्तों में सेना ने शहर में प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। खार्तुम पर फिर से कब्जा करना सेना के लिए एक बड़ी प्रतीकात्मक जीत है और संघर्ष में एक निर्णायक मोड़।

भारत ने चीन के पांच उत्पादों पर लगाया डंपिंग-रोधी शुल्क

भारत ने चीन से आयात होने वाले पांच उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया है। इनमें वैक्यूम फ्लास्क, एल्युमीनियम फॉयल, सॉफ्ट फेराइट कोर, ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड और पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर की सिफारिशों पर यह कदम घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए उठाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचना जारी कर बताया कि एल्युमीनियम फॉयल पर छह महीने के लिए 873 डॉलर प्रति टन का अस्थायी शुल्क लगाया गया है, जबकि अन्य उत्पादों पर पांच वर्षों तक शुल्क लागू रहेगा।

द. कोरियाः जंगल की आग से हजार साल पुराना बौद्ध मंदिर जलकर राख

दक्षिण कोरिया के उइसेओंग जिले में गाउंसा, एक प्राचीन बौद्ध मंदिर आग की चपेट में आ गया। यह आग दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में फैली जंगल की आग के कारण लगी। गाउंसा मंदिर को करीब एक हजार साल पहले सिल्ला वंश के दौरान बनाया गया था। मंदिर के अलावा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित जोसेन वंश (1392-1910) की एक बौद्ध वास्तुकला संरचना भी आग में नष्ट हो गई। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मंदिर में मौजूद भिक्षु और अन्य लोग क्षेत्र में आग पहुंचने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। जंगल की आग के फैलने के कारण, कोरिया हेरिटेज सर्विस ने राष्ट्रीय धरोहर स्थलों को आग के खतरे से बचाने के लिए अपनी आपदा चेतावनी स्तर को 'गंभीर' तक बढ़ा दिया है।

रूस-यूक्रेन के बीच काला सागर में सीजफायर, जहाजों और एनर्जी इंफ्रा पर नहीं होंगे हमले

यूक्रेन और रूस ने ब्लैक सी में लड़ाई रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के लिए बातचीत करने का निर्णय लिया है। यह ट्रम्प प्रशासन द्वारा पूर्ण युद्धविराम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह सीमित युद्धविराम कैसे और कब लागू होगा। यूक्रेन और रूस दोनों देशों ने इस समझौते की पुष्टि की है।

अमेरिकाः टॉप सीक्रेट वॉर प्लान लीक होने से हड़कंप... रक्षा मंत्री हेगसेथ घिरे

अमेरिका में टॉप सीक्रेट वॉर प्लान लीक होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल, यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा के लिए ट्रम्प कैबिनेट के शीर्ष अधिकारियों ने मैसेजिंग एप सिग्नल पर ग्रुप बनाया था। इसमें संवेदनशील जानकारियां शेयर की गई थीं। मसलन, हूती विद्रोहियों पर अगला हमला कब होगा। इस लीक के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ घिर गए हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने की घोषणा, सभी आयातित वाहनों पर लगेगा 25 प्रतिशत सीमा शुल्क

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश में प्रवेश करने वाले सभी आयातित वाहनों पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। नए आयात कर दो अप्रैल से लागू होंगे। इसी तारीख से ट्रंप की उन देशों पर भी सीमा शुल्क लगाने की योजना है, जो अमरीका के व्यापारिक घाटे के लिए बडे रूप में जिम्मेशदार हैं। इन व्या पक उपायों का उद्देश्य कार निर्माताओं को अमरीका की सीमाओं के भीतर अधिक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

खार्तूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे फिर से कब्जा

सूडान की सेना ने दावा किया कि उसने खार्तूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे फिर से कब्जा कर लिया है। यह हवाई अड्डा विरोधी रैपिड सपोर्ट फोर्स अर्धसैनिक समूह का प्रमुख केंद्र था। सेना ने कहा कि वह लगभग दो साल के युद्ध में पहली बार राजधानी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के करीब पहुंच गयी है। सेना ने कहा कि जनरल अब्देल-फ़तह बुरहान वहां उतरे और सैनिकों का निरीक्षण किया। सूडानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला अली ने कहा कि सैनिकों ने खार्तूम में रैपिड सपोर्ट फोर्स के अंतिम गढ़- तेइबा अल-हसनाब शिविर को भी फिर से अपने अधिकार में ले लिया है।

10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद ब्रासीलिया, ब्राजील में समाप्त हुआ

10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कल ब्रासीलिया, ब्राजील में समाप्त हुआ। इस दो दिवसीय संवाद में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नीति नियोजकों के साथ-साथ ब्रिक्स के विस्तारित सदस्यता से वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह संवाद ब्रिक्स के संस्थागत विकास पर विचार-विमर्श करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस संवाद में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय परिदृश्य, जलवायु कार्रवाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन और बहुपक्षीय शांति और सुरक्षा ढाँचों के सुधार पर चर्चा की गई। वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के नीति योजना और शोध के संयुक्त सचिव रघुराम एस ने किया।

रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमत

अमरीका ने कहा है कि सऊदी अरब में तीन दिन की वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन कालासागर में नौसेना युद्धविराम पर राजी हो गये है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि दोनों ही राष्ट्रं, कालासागर क्षेत्र में सेना के इस्तौमाल में कमी लाने और सैन्य उद्देश्य के लिए व्य-वसायिक जहाजों की आवाजाही रोकने पर सहमत हैं। नये समझौते के अनुसार व्हाइट हाउस ने बताया है कि रूस के कृषि उत्पोद और उर्वरक निर्यात की बहाली के लिए अमरीका, रूस की मदद करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोकद्योमीर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि वे समुद्र में किसी तरह की सैन्ये कार्रवाई न करने पर सहमत हैं और जहाजरानी की अनुमति भी दे दी गई है। समझौते में ऊर्जा प्रतिष्ठोनों पर हमले न किए जाने की भी बात कही गई है।

वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य बने एन.आई.एच. के निदेशक, अमरीका की सीनेट ने की पुष्टि

अमरीका की सीनेट ने नेशनल इंस्ट्टियूट ऑफ हेल्थ-एन.आई.एच. के निदेशक के तौर पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है। सीनेट की सरकारी वेबसाइट के अनुसार 47 की तुलना में 53 वोटों से उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई। श्री भट्टाचार्य नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट हैं।

खेल / कला

पैरा तीरंदाज टोमन ने खेलो इंडिया गेम्स के कंपाउंड इवेंट में जीता सिल्वर मेडल

छत्तीसगढ़ के पैरा तीरंदाज टोमन कुमार ने खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल जीत लिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए टोमन ने कम्पाउंड इवेंट में सिल्वर जीता है। संघ के महासचिव आयुष मुरारका ने बताया कि इसी टूर्नामेंट में शीतल कुमारी ने भी गोल्ड जीता था। जबकि इससे पूर्व उत्तराखंड नेशनल गेम्स में और टाटा नगर में हुए सीनियर नेशनल तीरंदाजी में टोमन सामान्य खिलाड़ियों में भी बराबर की टक्कर देते दिखाई दिए थे।

प्रियंका गोस्वामी ने स्लोवाकिया में 35 किमी स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पैदल चाल की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने स्लोवाकिया के डुडिंस में डुडिंस्का 50 प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं की 35 किमी स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। प्रियंका ने आयोजित की गई इस गोल्ड लेवल की प्रतियोगिता में दो घंटे 56 मिनट 34 सेकंड (2:56:34) का समय निकाला और 11वें स्थान पर रही। उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3:13:19 था।

शीतल, राकेश व ज्योति ने तीरंदाजी का स्वर्ण जीता

पंजाब की पावरलिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा खेलों (केआईपीजी) के चौथे दिन 45 किग्रा वर्ग में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता और दो 'विशेष' तीरंदाज शीतल देवी और पायल नाग के साथ सुर्खियां बटोरीं।

दो बार के हैवीवेट चैंपियन मशहूर मुक्केबाज फोरमैन का निधन

अमेरिकी जॉर्ज फोरमैन, खेल जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक, जिन्होंने सेवानिवृत्ति से बाहर आने के बाद हैवीवेट मुक्केबाजी का खिताब पुनः प्राप्त किया और एक प्रसिद्ध उत्पाद पिचमैन बन गए, का 21 मार्च, 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फोरमैन, जिन्होंने 1968 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, दो बार के हेवीवेट चैंपियन और हॉल ऑफ फेम मुक्केबाज थे। उन्हें शायद 1974 में ज़ैरे में मुहम्मद अली के साथ ऐतिहासिक रंबल इन द जंगल मुकाबले के लिए जाना जाता है, एक ऐसा मुकाबला जिसमें फ़ोरमैन आठवें राउंड में नाकआउट के ज़रिए हार गए थे। यह यकीनन अब तक की सबसे मशहूर लड़ाई है, और इस लड़ाई को दर्शाने वाली "व्हेन वी वेयर किंग्स" फ़िल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर के लिए ऑस्कर जीता।

मुल्लांपुर में होगा वीमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल

इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला मोहाली के मुल्लांपुर में स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

श्रीरामकुमार के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार

संगीत अकादमी ने 2025 के लिए वायलिन वादक आर के श्रीरामकुमार को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार देने की घोषणा की। संगीत अकादमी के अध्यक्ष एन मुरली के अनुसार भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है।

एशियन रेसलिंगः सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में जीता कांस्य पदक

एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप के पहले दिन भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 87 किग्रा ग्रीको-रोमन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक मैच में चीन के जियाक्सिन हुआंग को 5-1 से हराया। 2019 के सिल्वर मेडलिस्ट सुनील ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के सुखरोब अब्दुलखाएव को 10-1 से हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें ईरान के यासिन याजदी से 1-3 से हार मिली और ब्रॉन्ज मैच खेलना पड़ा।

सेपक टाकरा वर्ल्ड कपः भारत ने पहली बार जीता गोल्ड

सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेगु इवेंट में भारत ने स्वर्णिम इतिहास रचते हुए फाइनल में सबसे मजबूत मानी जा रही जापान टीम को 2-1 से हराया और पहली बार गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 2018 में चीन में भारत को एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, जबकि इस बार कुल सात मेडल प्राप्त हुए। महिला टीम को सेमीफाइनल में वियतनाम से हारने के बाद मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। छह दिनों तक चले इस वर्ल्ड कप में भारत ने एक गोल्ड, एक सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज मेडल जीते।

बिना हाथ-पांव वाली दुनिया की इकलौती तीरंदाज पायल

पैरा तीरंदाज पायल नाग ने हाल ही में जयपुर में छठी नेशनल पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप जीती। उनका लक्ष्य 2026 टोक्यो पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतना है। वह दुनिया की इकलौती तीरंदाज हैं, जिनके हाथ-पैर दोनों नहीं हैं।

अभिनेता और कराटे के मशहूर खिलाड़ी शिहान हुसैनी का निधन

अभिनेता और कराटे के दिग्गज खिलाड़ी शिहान हुसैनी (60) का रक्त कैंसर के कारण निधन हो गया है। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हू नाम से विख्यात हुसैनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक मूर्तिकार होने के साथ-साथ तीरंदाज और चित्रकार भी थे। उन्होंने कई दिग्गज सुपरस्टार्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी।

आधुनिक जादूगरः ताश के पत्तों से छठा वर्ल्ड रिकॉर्ड

सोलापुर के आदित्य कोडमूर (18) ने 31 ताश के पत्ते तरबूज में फेंककर छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हर दो सेकंड में पत्ते से तरबूज में छेद किया।

आंद्रिवा ने विश्व नंबर एक सबालेंका को चौंकाया

रूस की 17 साल की युवा टेनिस खिलाड़ी मीरा आंद्रिवा ने विश्व नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को चौंकाते हुए लगातार दूसरा खिताब जीता। आंद्रिवा ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में सबालेंका को 2-6, 6-4, 6-3 से हराकर अपना दूसरा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब हासिल किया। इसके साथ ही वे 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद सबसे कम उम्र की इंडियन वेल्स ओपन चैंपियन बन गई हैं।

कार्यालय प्राचार्य
भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी (छ.ग.)
वेबसाईट www.polydmt.ac.in ई-मेल polydmt@rediffmail.com

क्रमांक 5066/ स्था/2025 **धमतरी, दिनांक 24/03/2025**

अंशकालीन व्याख्याता हेतु विज्ञापन

भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी (छ.ग.) में गणित विषय में अंशकालीन व्याख्याता (01 पद) की आवश्यकता है जिसके लिय योग्य उम्मीद्वारों से दिनांक 07.04.2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. अंशकालीन व्याख्याता को पारिश्रमिक प्रति पिरियड रू. 800/- की दर से अधिकतम रू. 56100/- प्रतिमाह देय होगा।
2. नियुक्ति के लिये विहित अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से उपयुक्त विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।
3. अंशकालीन व्याख्याताओं की सेवायें केवल एक सेमेस्टर के लिए होगी।
4. अंशकालीन व्याख्याता के चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

क्र	अंशकालीन व्याख्याता के हेतु निर्धारित मापदण्ड अंक	अंक
1	विहित न्यूनतम अर्हता के लिये (अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 60 प्रतिशत)	60 (अधिकतम)
2	उच्चतर उपाधि (संबंधित विषय में उच्चतर उपाधि अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करने की धारित अंतिम तिथि तक/पूर्व का होना चाहिए)	05
3	शैक्षणिक अनुभव (महाविद्यालय/इंजीनियरिंग महा./पॉलीटेक्निक स्तर पर 01 अंक प्रति सेमेस्टर	10 (अधिकतम)
4	साक्षात्कार	25 (अधिकतम)

प्राचार्य
भोपाल राव वन
शासकीय पॉलीटेक्निक
धमतरी (छ.ग.)

APPLICATION FOR PARTTIME LECTURERSHIP

Paste a color Passport Size Photo here (Self Attested)

1. Full Name (in Capital Letters):--------------------
2. Father's/Husband's Name (in Capital Letters):-----
3. Mother's name (in Capital Letters):---------------
4. Gender: Male/Female/Other:-------------
5. Address for communication (In Capital Letters):----
   District------------------State-----------PIN Code----------------
6. E-mail: ------------.@------------------
7. Mobile Number-------------Alternate Mobile No------------------
8. Date of Birth: [|] [|] [| |] in DD MM YYY format.
9. Application for the Part Time Lecturer In:- MATHEMATICS
10. Educational Qualifications

SI	Degree	University/ Institute	Subject	Marks Obtained	Total Marks	Percentage
1	Graduate					
2	Post Graduate					
3	Higher Degree					

11. Teaching experience

SI	Designation	Employers Name & Address	From	To	Total Marks	Period
1						
2						
3						

12. Identity proof number(like DL/ PAN Card/Aadhar Card/ Voter ID etc):

Signatures with Date

Note:1. "Enclose self attested photocopies of all mark sheet and degree which are mentioned above.
2. In case of grade in the mark sheet, document for equivalent percentage should be enclosed
3. All communication will be by SMS/Email only, so keep them live.

आर.ओ.01/जी-242506149.4

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, निर्माण भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञाप क्रमांक 39037427/स्था./प्र.अ./23 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/03/2025

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-10/2014/19/स्था. 2 दिनांक 17.10.2024 द्वारा विभाग में उपअभियंता (सिविल) के 86 एवं उपअभियंता (विद्युत/यॉंत्रिकी) के 16 इस प्रकार कुल 102 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-10/2014/19/स्था. 2 दिनांक 26.12.2024 द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजन कराने के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर को अधिकृत किया गया है।

दिव्यांगजन बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुए उपअभियंता (सिविल) के 96 एवं उपअभियंता (विद्युत/यॉंत्रिकी) 17 कुल 113 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध रहेगी।

पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या	छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची-तीन में विहित शैक्षणिक अर्हता
उपअभियंता (सिविल)	35400-112400 (लेवल-8)	अनारक्षित 35 अ.जा. 09 अ.ज.जा. 25 अ.पि.वर्ग 11 दिव्यांग 16 **योग-96**	राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण।
उपअभियंता (विद्युत/यॉंत्रिकी)		अनारक्षित 06 अ.जा. 02 अ.ज.जा. 05 अ.पि.वर्ग 02 दिव्यांग 02 **योग:-17**	राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण।

टीप :

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3, दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्ययीन होंगी।

(2) परीक्षा के नियम एवं शर्तें, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की तिथि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आर.ओ.02/जी-242506166.5

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)
वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के संबंध में सूचना

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि बिलासपुर वनमण्डल अंतर्गत वाहन चालक के 05 (हल्का वाहन चालक के 03 एवं भारी वाहन चालक के 02 पद) रिक्त पदों पर कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा की कार्यवाही करते हुए दस्तावेज जांच / कौशल (मशीन ज्ञान) एवं प्रायोगिक (वाहन चालन) परीक्षा दिनांक 01.04.2025 से 09.04.2025 तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, लगरा, सीपत रोड, जिला बिलासपुर छ.ग. में निर्धारित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/प्रशा. अराज. 1/442/2025/463 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 20.01.2025 को हल्का वाहन चालक के अंतिम पात्र सूची के सरल क्रमांक 01 से 100 तक के अभ्यर्थियों का कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराया जा चुका है। शेष हल्का वाहन चालक के पात्र 501 अभ्यर्थी एवं भारी वाहन चालक के पात्र 173 अभ्यर्थी कुल 674 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी करते हुए उनके पते पर रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से प्रेषित किया गया है साथ ही विभागीय वेबसाईट forest.cg.gov.in में भी अपलोड किया गया है।

अतः जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे अपना प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट forest.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर
वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail:zp-raigarh.cg@nic. Website https://raigarh.gov.in Phone: 07762-222032 Fax :07762-224496

क्रमांक /1974/जिला पंचायत/NRLM / लेखा/स्था/2024-25 — रायगढ़, दिनांक 20-03-25

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 306/3433/2024/22-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 में दिए गए स्वीकृति के आधार पर मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति कि अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जनपद पंचायत मे विकास खंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई. एस. सहायक के संविदा रिक्त पद के भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 07/04/2025. को कार्यालयीन समय पर सायं 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं0 496001 के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन समय उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नही किए जावेगें।

जनपद स्तर पर संविदा रिक्त पदों का पदनाम संख्या व संवर्गवार पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी				
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	विकास खंड परियोजना प्रबंधक	00	00	01(मुक्त)	00	01
2	क्षेत्रीय समन्वयक	00	01(मुक्त)	01(मुक्त)	00	02
3	लेखा सह एम. आई. एस. सहायक	00	01(महिला)	00	00	01
	कुल	00	02	02	0	04

पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरणः-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण(कुल अंक 100)	
				विवरण	टंक
1	2	3	4	5	6
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	शिक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि। अनुभव स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ठ / क्लस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय अर्द्धशासकीय/शात्तकीय वित्त पोषित /शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव। शिक्षा 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतग वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं 10 अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	10
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	शिक्षा 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट। अनुभव स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन / आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा 05 अंक / साक्षात्कार 05 अंक	10
3	लेखा सह एम.आई.एस. सहायक	23,350	शिक्षा - 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। अनुभव- स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

नियम व शर्ते :-

1. निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र में बंद लिफाफे में केवल पजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-रायगढ़ (छ.ग.), पिन.-496001 के नाम से दिनांक----तक कार्यालयीन समय तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा।
2. आयु, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ के निवासियों एवं विभिन्न वर्गों हेतु समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक द्वारा आवेदन में आवेदक का फोटो स्वप्रमाणित तथा आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। स्वप्रमाणित नही होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को इस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 10वीं/ 12वीं/ स्नातक में 1 ग्रेड़ 91-100 औसत 95%, A ग्रेड़ 81-90 औसत 85%, B1 ग्रेड़ - 71-80 औसत 75%, B ग्रेड 61-70 औसत 65%, C1 ग्रेड़ 51-60 औसत 55% एवं C ग्रेड़ = 40-50 औसत 45%, उपरोक्त ग्रेड अनुसार प्रतिशत प्रदान किया जावेगा अन्यथा आवेदक संबंधित बोर्ड / संस्था से अपना प्रमाणिक अंक लेकर आएंगें।
7. समान अंक पाने वाले अध्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्र. एफ/9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट एवं अनुभव के अंको के आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा। तदोउपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़ते हुये अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।
15. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा।
16. अनुभव प्रमाण पत्र जारी विज्ञापन दिनांक के पूर्व का ही मान्य किया जावेगा। आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या

क्रमशः

अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

18. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
19. आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है. तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा।
20. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान / चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
21. शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव विज्ञापन तिथि से पूर्व का या विज्ञापन तिथि तक लगातार न्युनतम एक वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। एक वर्ष से कम अवधि के अनुभव पर मेरिट हेतु अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।
22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।
23. अपूर्ण/अस्पष्ट अथवा त्रुटिपर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
24. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम तथा वर्ग का उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
25. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है जिनम से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए प्रात्र नही होगा।
26. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से की एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध को छूट दे सकता है।
27. नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
28. किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जा सकती है तथा पदों की संख्या में परिवर्तन भी संभावित है।
29. आवदेन पत्र का विस्तृत प्रारूप कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के सूचना पटल, एवं जिले के वेबसाईट https://raigarh.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
30. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत-रायगढ़ (छत्तीसगढ)
छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत संविदा भर्ती

प्रति,

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत- रायगढ़ (छ.ग.)
पिनकोड- 496001

आवेदित पद का नाम :------------------------

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :------------------------
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :------------------------
3. जन्म तिथि (अंको में) :------------------------
दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में आयु वर्ष-----माह---दिन--------
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. लिंग (पुरूष/महिला) :------------------------
5. जाति (अनु. जाति/अनु जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें - :--------------
(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
6. पत्राचार का पता :------------------------
:------------------------
(मो.न.)-------ईमेल-------
7. स्थायी पता :------------------------
:------------------------
:------------------------
:------------------------
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है? -
9. शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/डिप्लोमा	बोर्ड/विवि	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

क्र.	कार्यरत पद का नाम	संस्था का नाम/पूर्ण पता	कार्यरत अवधि कब से कब तक	जारीकर्ता का पदनाम	क्रमांक व दिनांक
1			----से-----तक (कुल अवधि)----		
2			----से-----तक (कुल अवधि)----		
3			----से-----तक (कुल अवधि)----		
4			----से-----तक (कुल अवधि)----		

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित):------------------------
12. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि:-----------बच्चों की संख्या--------

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-
दिनांक :-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम:-------------

नोट - संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।
संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -
1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. स्नातक का प्रमाण पत्र
4. स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र
5. कम्प्यूटर डिग्री / डिप्लोमा का प्रमाण पत्र
6. अनुभव/अनापत्ति का प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
9. अन्य प्रमाण पत्र।

कार्यालय अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

Office Phone: 07744-296105, Website: abvmgmcrajnandgaon.ac.in Email: gmc.rjn@gmail.com

क्रमांक/10H2/ चिकि./स्था./2025 राजनांदगाँव, दिनांक 5/03/2025

भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव (छ.ग.) के निम्नलिखित विभागों में Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Senior Resident एवं Demonstrator के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में "वॉक इन इन्टरव्यू" का प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को एवं अवकाष होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में आयोजित किया जावेगा। वर्तमान में विभागों के रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Senior Resident	Demonstrator
Anatomy-01 (ST) Physiology-01 (ST) Pharmacology-01 (ST) Forensic Medicine-01 (SC) TB & Chest-01 (ST) Skin & VD-01 (OBC) Psychiatry-01 (UR) Cardiology-01 (ST) Orthopaedics-01 (SC) ENT-01 (UR) Neurosurgery-01 (ST) Radiodiagnosis-01 (UR-PH)	Physiology-01 (ST) Blochemistry-01 (OBC) Microbiology-01 (ST) Pathology-01 (SC) General Medicine-02 (1ST,1OBC) Pediatrics-01 (ST) TB & Chest-01 (SC) Skin & VD-01 (UR) Cardiology-01(ST) Anaesthesiology-01 (UR-PH) General Surgery-02 (1ST,1UR) Obstetrics & Gynecology-01 (OBC) Radiodiagnosis-01 (UR)	Anatomy-01 (ST) Physiology-01 (1ST) Microbiology(Medical)-01 (ST) Pathology-02 (1UR, 1OBC) Forensic Medicine-01 (UR) PSM-01 (ST) Epidemiologist Cum Assistant Professor (PSM-1) (UR) Medical Officer Cum Assistant Professor (PSM)-01 (ST) General Medicine-02 (1UR-PH, 1ST) Pediatrics-01 (UR) TB&Chest-01(OBC) Skin&VD-01 (UR) Psychiatry-01 (ST) Nephrology-01(SC) Cardiology-01(UR) Anaesthesiology-04 (1ST, 1UR, 1OBC,1ST) General Surgery-03 (1UR,1SC, 1UR) Orthopaedics-01 (ST) ENT-01 (OBC) Neurosurgery-01(UR-PH) OBGY-03 (1ST, 1UR, 1ST) Radiodiagnosis-01 (UR) Blood Bank-01(SC	General Medicine-05 (2OBC,2ST,1SC) Skin&VD-01(UR) Psychiatry-02 (1ST,1UR-PH) Nephrology-01 (ST) Cardiology-02 (1UR,1OBC) Anaesthesiology-03 (1UR,1ST,1SC) General Surgery-06 (3UR,2ST,1OBC) Orthopaedics-02 (1SC,1UR) ENT-01 (ST) Neurosurgery-01(OBC) OBGY-02 (1UR-PH,1OBC) Radiodiagnosis-02 (1UR,1ST) Blood Bank-01 (UR)	Anatomy-02 (1ST,1OBC) Biochemistry-02 (2ST) Microbiology-02 (1OBC,1UR) Pharmacology-01 (1ST) Forensic Medicine 02 (1SC,1UR) PSM-01 (ST)
Total Post-12	**Total Post-15**	**Total Post-32**	**Total Post-29**	**Total Post-10**
Salary-1,90,000/-	**Salary-1,55,000/-**	**Salary-1,00,000/-**	**Salary-75,000/-**	**Salary-50,000/-**

इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देशः-

1/ उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं आयु-सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड के अनुरूप ही मान्य होंगे।
2/ समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है। जिस पर शासकीय नियमानुसार TDS तथा अन्य कटौती किये जायेंगे।
3/ सभी पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को एवं अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को किया जावेगा।
4/ संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार, छत्तीसगढ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी।
5/ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
6/ सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
7/ साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज नवीनतम दो रंगीन फोटो एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थिति दर्ज करें।
8/ साक्षात्कार के समय शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जायेंगे।
9/ पात्र उम्मीदवार स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।
10/ अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि, दस्तावेजों की स्क्रूटनी का कार्य प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 तक किया जावेगा। अतः अभ्यर्थीगण प्रातः 10 बजे महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तदुपरांत उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
11/ पदों की संविदा भर्ती के संबंध में जानकारी हेतु चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

अधिष्ठाता
'भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर- 07747-299067, ई-मेलआई.डी. -wcd-mmac@cg.gov.in

क्रमांक/1578/म.बा.वि./न.बि./2024-25 दिनांक 19/03/2025

छ.ग. शासन, मबावि, का पत्र क्रमांक एफ- 3-1/2022/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2024 के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन के लिए संचालित नवा बिहान योजना अंतर्गत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में रिक्त पदों पर पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विज्ञापित का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन	पदों की संख्या	रिमार्क
1	महिला संरक्षण अधिकारी	लेवल-12	51780	1	-

योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। उक्त पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम दिनांक 15.04.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मोहला, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी (कॉलेज रोड बीईओ ऑफिस के बाजू में) के पते पर आमंत्रित किये जाते है।

नवा बिहान योजनांतर्गत जिला स्तरीय पदों पर नियुक्त होने वाले महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 केन्द्रीय अधिनियम है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र शासन द्वारा नियम बनाये गये है। अधिनियम की कियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों का है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, आश्रय एवं पुर्नवास, परामर्श सुविधा एवं घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार किये जाने की सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना है। अधिनियम का कियान्वयन हेतु नवा बिहान योजना संचालित है।

नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्य दायित्व -

क्र.	पदनाम	अनिवार्य म्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	महिला संरक्षण अधिकारी	विधि स्नातक / एमएसडब्ल्यू	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू को शासकीय /अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान में महिला कल्याण, देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान। (कौशल परीक्षा ली जाएगी।)

2. उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :-

2.1 इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 (यथा संशोधित) के अधीन किया जावेगा ये पद जिला स्तरीय पद हैं। अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

22 योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

2.3 संविदा नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय, जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी।

2.4 संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।

2.5 इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वेतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होंगे।

2.6 संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

2.7 संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी।

2.8 आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.9 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2.10 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। संविदा नियुक्ति होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.12 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.13 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

2.14 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।

2.15 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।

2.16 शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। प्रेक्टिसिंग लायर को बार काउंसिल का प्रमाण-पत्र तथा सुसंगत दस्तावेज व अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.18 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.19 लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट / टाईपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

2.20 प्रेक्टिसिंग लायर का संरक्षण अधिकारी के पद पर चयन होने की दशा में उसे वकालत / प्रेक्टीस करने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे बार कॉउंसिल को अपना लाईसेंस समर्पित

क्रमशः

करना होगा।

2.21 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ रू. 5/- का टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी संलग्न करें।

3. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

3.1 उपरोक्त पद जिला स्तरीय संविदा पद हैं, अतः आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। जिले में इन पदों पर नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति होगी। यह चयन समिति ही चयन संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करेगी।

3.2 प्रत्येक रिक्त पदवार आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा मैरिट सूची तैयार की जाएगी। मैरिट सूची में निम्नानुसार 100 प्रतिशत अंकों का वैटेज देते' हुए, निर्धारित किए गए अंकों के आधार पर प्राप्तांकों से मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

पदनाम	चयन प्रक्रिया
महिला संरक्षण अधिकारी	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 प्रतिशत अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। • न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20अंक तथा • लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/ स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

3.3 संरक्षण अधिकारी के पद पर केवल पात्र महिला उम्मीदवारों की ही मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

3.4 मैरिट सूची तैयार करते समय चयन हेतु समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।

4. चयन हेतु उम्मीदवारों के पात्रता/अपात्रता एवं प्राप्त आवेदनों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही संबंधित पद पर उपस्थिति मान्य की जावेगी।

6. आवेदकों को निम्नानुसार दस्तावेज़ अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

6.2 जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि का उल्लेख हो।

6.3 विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र।

6.4 अनिवार्य न्यूनतम अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।

6.5 अनिवार्य कौशल से संबंधित दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हो तो प्रस्तुत करें।

6.6 संरक्षण अधिकारी के पद पर एल.एल.एम./ विधि में पी.एच.डी आवेदक होने पर डिग्री/प्रमाण-पत्र।

6.7 उम्मीद्वार यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हों तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.8 रूपये 50/- के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित आयु सीमा के पूर्व विवाह न होने संबंधी नोटरी से अभिप्रमाणित किया हुआ शपथ-पत्र।

6.9 पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्रॉफ्स।

6.10 रूपये 10 की डाक टिकट लगा, अपने पत्राचार का पूर्ण पता लिखा हुआ एक लिफाफा।

- आवेदन का प्रारूप :-

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए

01. आवेदित पद का नाम :--------------------
02. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :--------------------
(अंग्रेजी में) :--------------------
03. पिता/पति का नाम :--------------------
04. स्थायी पता :--------------------
05. पत्र व्यवहार का पता :--------------------
06. जन्म तिथि (अंको में) शब्दो में :--------------------
07. दिनांक 01.01.2025 को आयु :--------------------
08. जाति/वर्ग (अजा./अजजा/अपिव/सामान्य) :--------------------
09. क्या आवेदिका शास./अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में सेवारत है?:-:-----------
10. विवाहित/अविवाहित/विधवा / परित्यकता :--------------------
11. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित संतान :- विवाह तिथि----
:- बच्चों की संख्या-----------

12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल परीक्षा					
2	हायर सेकेंडरी					
3	विधि स्नातक/एमएसडब्ल्यू					

13. अन्य योग्यता का विवरण

14. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हाँ/नहीं)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

15. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूचीः-
01. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंक सूची/प्रमाण पत्र।
02. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
03. स्नातक विधि/एमएसडब्ल्यू की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
04. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
05. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
06. पहचान पत्र/आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।

16. अन्य संलग्न का विवरण :-
01.------------------------
02. ------------------------
03. ------------------------
04. ------------------------
05 ------------------------
06 ------------------------
07 ------------------------
08 ------------------------

आवेदिका का हस्ताक्षर

- घोषणा पत्र:-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान----------
दिनांक---------

आवेदिका का हस्ताक्षर

जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर (छ०ग०)

वाक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन 'सखी'' धन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदनों के लिए सूचना

संचालनालय महिला एवं बाल विकास छ०म० इंद्रवती भवन ब्लॉक । द्वितीय तल नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र कमाक 10478/मबावि/गसामि/सखी-4/2024 -25 नव रायपुर दिनांक 27.11.2024 के अनुसार जिला नारायणपुर अंतर्गत संचालित "सखी" धन स्टॉप सेंटर में स्वीकृत सेवाप्रदाना के रिक्त पद कमशः (1) केन्द्रप्रशासक 01(2) साइको सोशल काउंसलर -01. (3) केस वर्कर-01, (3) पैरालीगल कार्मिक / वकील- 01, (4) पैरा मेडिकल कार्मिक-01, (5) सुरक्षा गार्ड / नाईट गार्ड-03, कुल 08 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस हेतु निर्धारित पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों का आवेदन आमंत्रित किया जाना है। दिनांक 05/04/2025 को प्रातः 00:00 बजे अभ्यर्थी जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन जिला पंचायत जिला नारायणपुर में उपस्थित हो सकेंगे।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

s.n.	Position	Number of staff	Monthly Service fee	Qualification	Rolrs&Responsibilities
1	Central Administrator	01	31450	• Any Women having a Masters In Law/Sockai Work/Sociology/Social Science/Psychology with at least 5 years experience of working on women related relevant domains In an administrative set-up with a Government ar Non Government project/programme and. preferably with at least 2 year experience of counseling elther within or outside the same set-up.. • She should be preferably a resident of the lacal community so that local hunian resource and expertise is utilized for effective functioning of the centre. • She should be expert in Computer Wark (MS Office) Compulsory	• woman with requlsite qualification avallable at OSC. She will be a residential staff attached to OSC • The center Administrator would be in charge of functioning of OSC. She would be in charge of functioning of OSC. She would be the first point of contact with the woman who is accessing OSC • The centre Administrator would interact with every woman seeking OSC's Intervention for addressing violence. • The centre Administrator will listen to the grievance, document the case history and register the case in the online/web-based case management system to generate a Uniqle Identity Number(UID) • The centre Administrator would be responsible for supervision of each case, taking it to a logical conclusion and later. following up with the aggrieved women. • As soon as the complaint is registered, the Center Administrator will send a text message (SMS/Internet) to the DPO/PO/COPO/SHO/DM/SP/DYSP/CM O of the district in which the women is located at the time of accessing 05C. • The contre Administrator would be responsible for coordination with all stakeholders (police station, hospital, legal, ald, counselling), registration of cases in the absence of the IT staff, • The centre Administrator will consolidate a list olagencies/Individuals providing/willing to provide legal/medical/psycho-social counseling services at OSC. • The center Administrator will cooridinate with CBOs Specialized in addressing violence against women, Gender cells, womens study centres at Universities to seek technical inputs in terms of training and capacity building of women affected by violence. • The center Administrator will monitor the functioning of OSC, (including the work of the staff), facilitate capacity building, guide and support the team of caregivers. • The centre Administrator would approve the quarterly report prepared by the IT staff to be submitted to the Management committee(MC) through Implementing Agency (IA) • The centre Administrator would also document the case studies/success stories as per the prescribed format. • The Quarterly Report has to be sunmitted 15 days prior to the end of cach Quarter. • The centre Administrator will meet the MC on a monthly basis for guidance, support • The footage of the CCTV would be under the vigilance of the centre administrator. • The centre Administrators can design their own feedback forms for the purpose of social Audit
02	Psycho-Social counsellor	01	25780	• The service could be outsourced to any Woman having Professional degree/diploma in psychology/psychiatry/neurosciences/with a background in health sector and preferably with at Science/Psychology with at least 3 years" experience of working within a Government of Non Government health project/programme at the district level. She should be expert in Computer Work (MS Office) Compulsory.	• She will provide psychological counseling and guidance to the woman affected by violence and support in referral services that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs. • She will help draft the case history of the women affected by violence.
				Any Women having a Bachelor in Law/Social Work/Sociology/Social. Science/Psychology with at least 3 years" experience of working on women related relevant domains in a Government of Non Government	• Caseworker will work in sifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide assistance and support to the centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work assigned by the centre Administrator.

03	Case worke	01	18420	Any Women having a Bachelor in Law/Social Work/Sociology/Social. Science/Psychology with at least 3 years" experience of working on women related relevant domains in a Government of Non Government project/programme. She should be preferably a resident of the lacal community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre She should be expert in Computer Work (MS Office) Compulsory.	• Caseworker will work in sifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide assistance and support to the centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work assigned by the centre Administrator.
04	Para Legal personnel/ Lawyer	01	18420	In the absence of Legal Advisors provided by District Legal Services Authority, the legal counseling service could be outsourced to any person having a degree in Law/with legal training or knowledge of laws with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government women related project /programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 years experience of litigation in any court of law.	She/he will Inform and orient the woman about her legal rights and help/guide the woman to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. She/he will coordinate/liaise with the Public Prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. She/he will simplify legal procedures for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. She/he will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings. through the employment of video conferencing facility forhe recording of statement of women affected by violence.
05	Para Medical personnel	01	18420	In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non-Government health project/programme at the district level.	Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC She will provide first aid and immediate life saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. She will accompany the woman. affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
06	Security Guard/Night Guard	03	11720	The services could be outsourced to any person who is Passed Ath from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a or reputed government organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military para-military personnel	Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

चयन प्रक्रिया :-

1. प्राप्त आवेदनो के जांच पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जायेगा।
2. "राखी" वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत रिक्त 08 पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
3. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

3.। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों Weightage के देते हुए अधिकतम 80 अंक ।

3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.3 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

क्रमशः

3.1 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।

3.5 "वॉक-इन-इन्टरव्यू" हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे, अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली / छत्तीसगढ़ / गोंडी / हल्बी का ज्ञान होना आवश्यक है, "वॉक-इन इन्टरव्यू" के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जायेगा।

3.3 अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र वरिष्ठता के अधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

4. अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय / गैर शासकीय संस्था एवं शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ही मान्य किये जायेंगे।

5. अनुभव प्रमाण पत्र गैर शासकीय संस्था द्वारा प्रमाणित होने पर गैर शासकीय संस्था को केन्द्र शासन के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

6. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव एवं साक्षात्कार को जोड़कर मेरिट सूची जारी की जावेगी। उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तें:-

7. आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जावेगी, जो कि 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों का मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

8. चयनित सेवाप्रदाता तथा जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-नारायणपुर के मध्य 02 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने, योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

9. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एकमुश्त राशि दी जावेगी एवं नियुक्त सेवाप्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों पालन करने बाध्य होंगे। अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

10. "सखी" वन स्टॉप सेंटर 24 घण्टे चलने वाली आपातकालीन सेवा है, अतः इस हेतु अवकाश की पात्रता सेवाप्रदाता के लिए नहीं होगा, अपरिहार्य स्थितियों में जिला कार्यक्रम अधिकारी इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे, जो कि मान्य होगा।

11. चयनित सेवाप्रदाता को स्थापित संस्था के 05 कि.मी. की परिधि में निवासरत रहना होगा तथा बुलाये जाने की स्थिति में समय पर उपस्थिति देना अनिवार्य एवं बंधनकारी होगा।

12. "सखी" वन स्टॉप सेंटर के कियान्वयन हेतु भारत शासन से जारी गाईड लाईन एवं संवालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशो एवं समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का पालन करने हेतु अनुबंधित होंगे।

13. चयनित सेवाप्रदाता को स्वास्थ चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य में उपस्थित होने के 01 माह भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. सबी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है। अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण तदसंबंधी प्रमाणपत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

15. सजी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तःसंबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

16. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रूपये 50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पति /पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सरुता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

18. आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।

19. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

20. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पंजीकरण के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

21. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में "वॉक-इन-इन्टरव्यू" तिथि को ही स्वीकार किया जयेगा एवं निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

22. अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

23. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण पंजीयन पर विचार नही किया जायेगा।

24. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा।

25. वाक-इन-इन्टरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

26. निर्धारित तिथि के पूर्व पंजीयन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

27. चयन के संबंध में कलेक्टर जिला नारायणपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

23. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला नारायणपुर (छ०ग०)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-नारायणपुर (छ०ग०)

स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो

1 अवेदित पद का नाम :------------------------------
2 अवेदक का नाम (हिन्दी में) :------------------------------
आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :------------------------------
3 पिता/पति का नाम :------------------------------
4 स्थायी पता :------------------------------
5 पत्र व्यवहार का पता :------------------------------
मो.न :-------------------------
6 जन्मतिथि (अंको में) शब्दों में :------------------------------
7 दिनांक 01.01.2025 को आयु :------------------------------
8 लिंग (पुरुष/महिला) :------------------------------
9 जाति (अनु.जा / अनुजज.जा/अ.पि.वर्ग/अन्य) :-------------------------
10 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?:----------------
11 आवेदक की वैवाहिक स्थिति :-----------------------------
12 शैक्षणिक योग्यता (जन्म तिथि एवं समस्त प्रमाण पत्रों की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						

13 आय योग्यता का विवरण
14 अनुभव प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी

(इसके अतिरिक्त कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।)
15 अनिवार्य संलग्नों की सूचीः-
1. सुरक्षागार्ड / नाईट गार्ड के पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र। 3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र ।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसाय पाठ्यकम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र। 7 निवास प्रमाण पत्र।

16. अन्य प्रमाण पत्र (1. जाति प्रमाण पत्र, 2 जीवित रोजगार प्रमाण पत्र, 3. अन्य)

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और वि वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पाए जाते हैं तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान
दिनांक -

एकता महिला संकुल स्तरीय संगठन कुआकोण्डा

विकासखण्ड - कुआकोण्डा जिला-दंन्तेवाड़ा (छ०ग०)

क्रमांक 17/CLF-IFC/2025, कुआकोण्डा, दिनाँक 20/03/2025

// आई.एफ.सी. एंकर भर्ती विज्ञापन //

एकीकृत फार्मिंग कलस्टर अंतर्गत आईएफसी एंकर ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका संवर्धन हेतु फार्म, ऑफ फार्म एवं नॉनफार्म आजीविका अंतर्गत विभिन्न कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिकल पद्धति, मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार, फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार एवं एग्री न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण में सुधार, पशुधन प्रबंधन नस्ल में सुधार, समय पर पशु चिकित्सा, देखभाल और टीकाकरण को अपनाकर महिला एवं स्व सहायता समूह सदस्यों मुख्यतः महिला किसानों एवं पशुपालकों के आजीविका स्तर को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कलस्टर संगठन को क्रियान्वयन एंजेसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.सी. एंकर की भर्ती की जानी है। जिस हेतु इच्छुक व पात्र उम्मीद्वारों के आवेदन आमंत्रित है। उक्त आई.एफ. सी. एंकर की भर्ती पुर्णकालिक के लिए ही होगी। यह भर्तियां पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान अंतर्गत गठित कलस्टर संगठन के स्वामित्व के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है।

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25/03/2025 व अंतिम तिथि 05/04/2025 को समय शाम 5.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआकोण्डा (एन०आर०एल. एम० शाखा) जिला दन्तेवाड़ा छ.ग. के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते है।

01 आई.एफ.सी. एंकर पद की संख्या 01 हेतु आवश्यक अर्हता, मापदण्ड मानदेय व यात्रा भत्ता का विवरण-----

क्र	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम कार्यानुभव (वर्ष)	एकमुशत मासिक मानदेय रू	यात्रा भत्ता (रू. में)	वांछित अर्हता
1	2	3	4	5	6
	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विषय पर स्नातकोत्तर में उपाधि।	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरान्त फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनत्तम 01 वर्ष का कार्यानुभव।	30,000/-	3,000/-	-यदि कॉलम 2 एवं 3 के अनुसार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधित कार्य का 02 वर्ष का अनुभव वांछित। -ग्रामीण परिपेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्यानुभव को प्राथमिकता। -हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। -कम्प्यूटर एवं एम.एस.ऑफिस में कार्य करने मे दक्ष, हिन्दी व अग्रेजी टाईपिंग आती हो। -रिपोर्ट लेखा एवं डेटा प्रबंधन में दक्षता। -क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन (दो पहिया)

2 सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (CRP) पद की संख्या 04 हेतु आवश्यक अर्हता, मानदेय का विवरण -

क्रमांक	न्यूनतम	एक मुशत	वांछित
1	12वीं पास	8000/-	बिहान योजना में कम से कम 02 वर्ष अनुभव।

1. आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी की, 2023 की स्थिति में 21 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम हो।
2. निवासी छत्तीसगढ़ राज्य/जिले का मूल निवासी हो।
3. सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (CRP) हेतु दंतेवाड़ा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. IFC एंकर के मानदेय को नोडल सीएलएफ द्वारा प्रावधनित IFC बजट से जारी किया जावेगा।
5. चयन प्रक्रिया के नियम एवं शर्तें मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जावेगा।
6- IFC एंकर की नियुक्ति पूर्णत अस्थाई होगी जिसे परियोजना के आवश्यकता के अनुसार प्रति मूल्यांकन के आधार पर उम्मीदवार के कार्य अवधि में आगामी वर्ष हेतु बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि CLF चाहे तो IFC के अलावा) से उसकी नियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है।
7. मूल्यांकन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
8. IFC एंकर की नियुक्ति उपरांत परवीक्षा अवधि न्यूनतम 01 माह की होगी। उक्त अवधि में कार्य मूल्यांकन उपरान्त 11 माह के लिए नियुक्ति अवधि बढ़ायी जायेगी। साथ ही नियुक्ति उपरान्त 01 वर्ष पूर्ण होने पर सीएलएफ अंतर्गत गठित समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के आधार पर विभिन्न KPI में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने पर नियुक्ति आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।
9. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीद्वारी निरस्त मानी जायेगी।
10. अपुर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपुर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। एवं कोई सुचना नहीं दी जावेगा।
11. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्तियों से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्ति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात का की समाधान हो जाये के, ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो इस प्रतिबंध से छुट सकता है।
13. यदि आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उतपन्न करता है। या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त कि जा सकेगी।
14. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता कलस्टर संगठन के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष
एकता महिला संकुल संगठन
कुंआकोण्डा
जिला-दंतेवाड़ा(छ.ग.)

आवेदन पत्र

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुआकोण्डा (छ०ग०)

आवेदित पद का नाम :--------------------------
1. आवेदक का नामः :-------------------------
2. पिता/पति का नामः :-------------------------
3. जन्म तिथि (अंको में) :-------------------------
4. जन्म तिथि (शब्दों में) :------------------------
5. आयु (दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में) :------------------------
6. लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेण्डर) :------------------------
7. जाति वर्ग (अजा/अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)- :------------------------
8. स्थाई पता- :----------------------
9. वर्तमान पता एवं मोबाईल नम्बर- :----------------------
10. शैक्षणिक योग्यता (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णाक/प्राप्तांक	प्रतिशत

अनुभव---

संलग्न प्रमाण पत्रः-

1---------2-------3.-----4---------5.---------7--------8----------

-:: घोषणाः:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, उपरोक्त दर्शायी गई जानकारी मेरे ज्ञान व अनुभव में पूर्ण, सही व सत्य है, उक्त जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरा आवेदन अमान्य अथवा मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जावे।

दिनांक :-
स्थानः- आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ)

(महिला एवं बाल विकास शाखा)

Phone Number/Fax No.07853-220346 E-mail bijapurdwcdo@gmail.com

क्र०/13388 मबावि/स्था. / 2024-25 — बीजापुर, दिनाँक 21/03/2025

" संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन" जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र"

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. के पत्र क्रमांक/6132/मबावि/सावि/ 2023-24 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.09.2023 के तहत मिशन शक्ति अंतर्गत आने वाली समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले में जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु एकमुश्त वेतन पर जेन्डर विशेषज्ञ का 01 रिक्त पद का प्रावधान है। जिसकी पद पूर्ति किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों से दिनांक 15/03/25 से 07/04/25 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड़पोस्ट के माध्यम जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा) जिला बीजापुर (छ.ग.) में आमंत्रित किया जाता है।

1. जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र हेतु पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5	6
01	जेन्डर विशेषज्ञ	01 अनु. ज.जा.	25780.00	8	-जेन्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। -कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव

2. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण

मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW- District Hub for Empowerment of Women) में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन भावित के दिशा निर्देशों में उल्लेखित है। तद्नुसार उक्त पदों पर योजना अंतर्गत निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है।

2.1 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारिणी के कॉलम 4 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

2.2 इन कर्मचारी का अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा :-

3.1 जेन्डर विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

4. चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य / अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नात्तक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम. एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता	-जेन्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। -कम से कम 03 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

4.1 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

4.2 वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :-

5.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

5.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक। (अनुभव प्रमाण पत्र में पद से संबंधी दायित्वों/कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो)

5.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे।

5.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

5,5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अक निर्धारित रहेंगे।

5.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

5.7 उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 5 की उप कंडिका 5.1, 5.2, 5.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा।

6. नियुक्ति की अवधि :-

6.1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा / सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

6.2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

6.3. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. अन्य नियम एवं शर्तें :-

7.1 अनु.ज.जा. वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7.2 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

7.3 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

7.4 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा।

7.5 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

7.6 शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा,

क्रमशः

अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

7.7 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

7.8 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

7.9 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

7.10 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएगे।

7.11 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

7.12 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

7.13 विज्ञापन संबधित विस्तृत जानकारी जिले के वेब साईट www.bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ०ग०)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बीजापुर (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए भरणा करें

1. आवेदित पद नाम :------------------------
2. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :------------------------
(अंग्रेजी की केपिटल लेटर में)
3. पिता/पति का नाम :------------------------
4. जन्मतिथि (अंको में), :------------------------
5. दिनांक 01.01.2023 को आयु :------वर्ष----माह----दिन---
6. लिंग (पुरुष/महिला)
7. जाति/वर्ग
(अनु.जा./अनु.जन.जा./ओबीसी)
8. पता (पत्र व्यवहार हेतु) :------------------------
मो.न--------------------
ई-मेल-------------------
----
9. स्थायी पता :------------------------
ई-मेल--------------------
मो.न---------------------
ई-मेल--------------------
10. क्या आवेदक विवाहित है, यदि हां :------------------------
त्तो विवाह की तिथि जियित वच्यों की संख्याः------------------------
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में सेवारत है?
(तो अनापत्ति प्रमाण प्रत्र संलग्न करें :------------------------
12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण (कब से कब तक)	कुल अनुभव वर्ष	रिमार्क

14. अनिवार्य संलग्नकों की सूची (आवेदन के साथ कमबद्ध संलग्न करें)
1. जन्मतिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
2. 12 वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र
8. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
9. पहचान पत्र /आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. इत्यादि।
10. एक लिफफा जिसमें स्वयं का पता लिख डाक टिकट सहित

11. अन्य संलग्नकों का विवरण

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाने योग्य होगी।

स्थान :-
दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर

वनमंडल भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

E-mail: dfoeast bpur@rediffmail.com

// हल्का वाहन चालक के पद पर भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत वाहन चालन एवं मशीन ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलावा हेतु सूचना //

विभाग में रिक्त भारी वाहन चालक / हल्का वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर अंतर्गत पात्र अभियर्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चालन एवं मशीन ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु तिथि दिनांक 26.03.25 से 04.04.25 तक निर्धारित है, जिसमें भारी वाहन चालक पद हेतु प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 26.03.25 को तथा हल्का वाहन चालक पद हेतु दिनांक 27.03.25 से दिनांक 04.04.25 तक वनमंडल अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा समस्त पात्र अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है, किसी कारणवश संबधित को पत्र की प्राप्ति नही होती है तो विभागीय वेबसाईट के लिंक :-https://forest.cg.gov.in/post/6487 में अपलोड पात्र अभियर्थियों को सूचित किया जाता है कि संलग्न समय सारणी में दर्शित सरल क्र. में अपना सरल क्रमांक जांच कर सरल क्र. के लिए आरक्षित तिथि पर इस सूचना के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में अपने पहचान पत्र, 02 पासपोर्ट साईज फोटो एवं आवेदन में संलग्न मूल दस्तावेज एवं उसकी छायाप्रति साथ निम्न दर्शित स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

-: स्थान

तेन्दुपत्ता गोदाम परिसर, दल्लीरोड़ नाका के पास परिक्षेत्र कार्यालय, भानुप्रतापपुर के पीछे।
(गुगल लेंस से नीचे दिये गये क्यू आर कोड को स्कैन कर निर्धारित स्थान पर पंहुचा जा सकता है)

वनमंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

E-mail ID-pddrda2012balrampur@gmail.com, drda.balrampur-cg@nic.in

क्र./581 / जि.पं./ 'बिहान' / NRLM/2024-25 बलरामपुर, दिनांक 21/03/2025

विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन, सेक्टर-19, द्वितीय तल नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/3357/वि-06/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न पदों पर पूर्णतया एकमुश्त मानदेय आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से विज्ञापन दिनांक 07/04/2025 सायं 5:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय- बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०) में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु जिला के वेबसाईट www.balrampur.gov.in तथा राज्य कार्यालय के वेबसाईट www.bihan.gov.in से संबंधित जानकारी / नियम शर्तें, पदवार निर्धारित योग्यता / अर्हता आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक उपरोक्त पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते है। सभी पदों पर मात्र जिले के स्थानीय निवासी ही रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।

(अ) पदों का विवरण :-

क्र0	पदनाम	कुल पद संख्या	रिक्त पद की वर्गवार जानकारी				मासिक एकमुश्त मानदेय (रू.)
			अनारक्षित (मुक्त)	अ.पि.वर्ग (मुक्त)	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.जा. (मुक्त)	
1	लेखापाल	01	00	00	01	00	23,350.00
2	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	03	01	00	02	00	23,350.00
3	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	00	00	02	00	23,350.00
4	भृत्य	01	01	00	00	00	14,400.00

(ब) पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल 100 अंक)	
			विवरण	अंक
1	2	4	5	6
1	लेखापाल	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
			बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
			दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
			न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
			छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
			कौशल परीक्षा	10

(ब) पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र0	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल 100 अंक)	
			विवरण	अंक
1	2	3	4	5
2	लेखा सह एम. आई.एस. सहायक	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
			बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
			दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
			न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
			छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
			कौशल परीक्षा	10
3	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।) **अनुभव** – वांछित शैक्षणिक अर्हता उपरांत संबंधित क्षेत्र में 02 वर्षीय का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	45
			दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	30
			न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
			छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
			कौशल परीक्षा	10
		शिक्षा – मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	85
4	भृत्य	**अनुभव** – न्यूनतम एक वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य (शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव)।	न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
			छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05

उक्त संविदा भर्ती रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत है :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत / स्पीड डाक से मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के नाम से दिनांक 07.04.2025 को समय 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
3. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) की श्रेणी में आता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति ही मान्य किये जावेंगे।
6. छ०ग० राज्य के स्थायी निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेंगे।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगा।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों में मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उसमें से पात्र अभ्यर्थियों में से एक पद के विरूद्ध 15 अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा तद्युपरांत अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. विज्ञापन में वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर एवं ईमेल की जानकारी एवं नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही शासकीय अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
17. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
18. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार

क्रमशः

पर निर्धारित की जावेगी. जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

19. शासकीय / गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदन द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
20. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिये पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
21. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
22. पदों की संख्या में परिर्वतन संभावित है।
23. विज्ञापन में पदवार जिले का रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
24. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के सूचना पटल, जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज के वेबसाइट www.balrampur.gov.in तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के वेबसाईट www.bihan.gov.in से अवलोकन / डाउनलोड किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यार्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट www.bihan.gov.in में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
25. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
26. आवेदक द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज नियुक्ति उपरांत गलत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
27. दावा आपत्ति के समय आवेदन के दौरान आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
28. समस्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
29. संविदा नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
30. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिर्वतन मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद का नाम..........................

स्व-प्रमाणित फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलरामपुर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
छत्तीसगढ़, पिन कोड 497119

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में :-------------------------------
   (ब) अंग्रेजी में :- :-------------------------------
2. पिता/पति का नाम :-------------------------------
3. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :-----------------------------
4. जन्म तिथि :-------------------------------
   (अ) अंको में :-------------------------------
   (ब) शब्दों में :-------------------------------
   (स) दिनांक 01.01.2025 को आयु :-:-------------------------------
   (हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10 वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) :-------------------------------
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :-------------------------------
7. स्थायी पता (हिन्दी में) :-------------------------------
   :-------------------------------
   :-------------------------------
8. मोबाइल नंबर :-------------------------------
9. ई-मेल आईडी :-------------------------------
10. आधार नंबर :-------------------------------
11. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

12. अनुभव का विवरण :-

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

1.-------------------------------------
3.-------------------------------------
5.-------------------------------------
7.-------------------------------------
9.-------------------------------------
2 .-------------------------------------
4. .-------------------------------------
6. .-------------------------------------
8. .-------------------------------------
10. .-----------------------------------

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम-------------------

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाये समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर -------------
नाम---------------------------

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर)

ई-मेल-excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेब साईट- https://excise.cg.nic.in

क्रमांक /आब./स्था (अराज.)/2025/117 नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2025

1. छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 6-21/2024/वा.क. (आब.) / पाँच नवा रायपुर दिनांक 14. 08.2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समयसमय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं / परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी, इस हेतु समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट - https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।

2. रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान का विवरण।

क्र	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200-20200 +1900)

टीप :-

3 . **पात्रता संबंधी शर्ते :-**

प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो निम्नांकित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-

(I) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(II) शारीरिक अर्हतायें आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों -

मापदण्ड	पुरुष कर्मचारियों के लिये	महिला कर्मचारियों के लिये
ऊँचाई	167.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 से.मी.	152.4 (से.मी.)
सीना	81 सें.मी. (सामान्य स्थिति में)	-
	86 सें.मी. (फुलाने पर)	-

4. आयु सीमा :-

(क) आवेदक ने 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

(ख) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी।

(1) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :-

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(3) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-

(i) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(ग) (ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, यह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो. अर्थातः-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो; (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो. (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय

क्रमशः

तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ड़) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी है. उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(छ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ज) अभ्यर्थियों, जिन्हें उनके प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /महिला/विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(झ) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, (जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो) जिन्हें उपरोक्त बिन्दु 4 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (3) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(महत्वपूर्ण टीप : सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10 वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी।)

5. निरर्हताः-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो. किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है. तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जाँच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अद्योपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध-भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ), 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज हो उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदो पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जावे। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर दिनांक 11.09. 2023)

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा-

(i) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. नियम शर्ते एवं प्रक्रियाएं

(6.1) उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जायेगी।

(6.2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(6.3) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

(6.4) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी की वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करता है।

(6.5) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यलयों में कार्यरत कर्मचारियों की चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(6.6) यदि आवेदक द्वारा नकली अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा मिथ्या घोषणा पत्र भरकर, परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(6.7) परीक्षार्थी को अपने मुख्यालय से परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापसी हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(6.8) परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। परीक्षार्थियों को रोल नं. आबंटित किया जावेगा। परीक्षार्थियों को कहीं भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में अपना नाम पदनाम लिखना पूर्णतः वर्जित रहेगा, केवल आबंटित रोल नं. लिखना आवश्यक होगा।

(6.9) परीक्षा के दौरान मोबाईल एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा।

(6.10) आवेदकों को परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना होगा, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6.11) परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का सभी आवेदक पालन करेंगे। यदि किसी आवेदक द्वारा अवहेलना किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो, उसे चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(6.12) यदि किसी आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नकल करने अथवा अन्य अवैधानिक अनुचित तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रयास करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल परीक्षा केन्द्र से बाहर निकाल दिया जावेगा, और उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. परीक्षा आयोजन हेतु क्रार्यक्रम-

1. परीक्षा पद्धति

(1) लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा।

(2) प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

(3) प्रश्न पत्र कुल 100 अंको का होगा।

(4) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।

(5) लिखित परीक्षा की कुल अवधि 02:00 घंटे की होगी।

(6) समस्त प्रश्न हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तर के पूछे जायेंगे।

2. मूल्यांकन पद्धति प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 01 अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा

क्रमशः

जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

3. **परीक्षा पाठ्यक्रम**

(क) सामान्य अध्ययन (33 अंक/33 प्रश्न)

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था ।
4. भारत की अर्थव्यवस्था ।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति ।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।

(ख) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान (33 अंक/33 प्रश्न)

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जणगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां ।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं

(ग) प्रारंभिक अंक गणित-

(घ) सामान्य हिन्दी व्याकरण के संदर्भ में (07 अंक/07 प्रश्न)

(ड.) छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान-(07 अंक/07 प्रश्न)

(च) तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता-(07 अंक/07 प्रश्न)

(छ) सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान (06 अंक/06 प्रश्न)

8. **महत्वपूर्ण टीप :-**

(i) छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(iii) विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

(iv) उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियाये माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

(v) विज्ञापित पदों पर भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणो से कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी, इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

(vi) आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी।

(vii) पंजीकृत डॉक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

9. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interprtation):- इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का रहेगा किसी भी विवाद / शिकायत/आपत्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

10. परीक्षा निर्देश :- व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट- https://vyapameg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय संचालक

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, रायपुर

(इन्द्रावती भवन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लाक नं. 1. द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.)

E-Mail-govtprintingstationerydept@gmail.com दूरभाष कार्यालय 2331302

विज्ञप्ति कमांक 1631/स्था / सीधी भर्ती/2025 - नवा रायपुर दिनांक 24/3/2055

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक एफ 2-08/2021/सात-4 नवा रायपुर दिनांक 28 मार्च 2024 में दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की सहमति दिये जाने के उपरांत आनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के माध्यम से वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है। पदों का विवरण निम्नानुसार है-

डार्करूम असिस्टेंट कुल 1 पद पेस्टिंग बाँय कुल 2 पद आम्जीलरी कुल 2 पद, इंकमैन / इंकर कुल 4 पद, जूनियर बाईडर कुल 2 पद, हमाल कुल 1 पद, सफाई कर्मचारी कुल 2 पद, चौकीदार कुल 2 पद, भृत्य कुल 2 पद, हेल्पर कुल पद

टीपः- 1. विज्ञापित किये गये पदों की रिक्तियों की सख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

2. उपरोक्त पदो के संबंध में विस्तृत विज्ञापन, परीक्षा का पाठ्यक्रम, एवं परीक्षा कार्यक्रम आनलाईन आवेदन की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरात नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस. एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

संचालक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
अटल नगर, नवां रायपुर

आर.ओ.03/जी-242506154.5

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

भर्ती सूचना

इस कार्यालय के पत्र कमांक 175/स्था/प्र.अ/दिनांक 15.01.2025 अनुसार सीधी भर्ती हेतु उप अभियता (सिविल) एवं उप अभियंता (वि/या) का सक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विहित शैक्षणिक अहंता उप अभियंता (सिविल) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजिनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं उप अभियंता (वि/या) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा दर्शित है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 1983 of 2025 एवं WPS No. 2012 of 2025 के आर्डर शीट दिनांक 25.03.2025 अनुसार "Considering the fact that since the last date for submission of the online form in the portal of the CGVYAPAM is upto 5 p.m. of 01.04.2025, the respondent No. 1/State is directed to issue necessary instruction to the respondent-CGVYAPAM who has to conduct the examination, to make necessary changes/amendments in the online portal for the intending candidates/participants of the examination in question for submission of their online forms and the petitioners are at liberty to submit their forms in the online portal, however, their participation shall be subject to the final out come of the present petitions. It is made clear that this order would operate in rem and not in personam and would be applicable to all the similarly situated candidates having Degree in Engineering, subject to the condition that they fulfill other requisite criteria as may be prescribed by the respondent Department in the advertisement in question." निर्णय दिया गया है। तद्नुसार शासन के पत्र कमांक एफ 3-6/2025/34-1, दिनांक 26.03.2025 द्वारा परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. को ऑनलाईन पोर्टल में संशोधन / परिवर्तन हेतु आदेशित किया गया है।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
छत्तीसगढ़, अटल नगर

आर.ओ.04/जी-2425061640.6

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, भूतल नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष कमांक-0771-2960272, e-mail-dp.cg@nic.in, Website-www.dpcg.cgstate.gov.in

क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144/2025/774 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 21-03-2025

पंचायत सचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक / पंचा/आरजीएसए/144B/2025/762 दिनांक 13.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 15.04.2025 सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल (https://dpcg.cgstate.gov.in/) में आमंत्रित किये जाते है, पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. राज्य समन्वयक (पेसा) :-

पद :- राज्य समन्वयक (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/मानव विकास/ ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. कम से कम 05 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत समान प्रकृति में कार्य का अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।

पद :- विषय विशेषज्ञ (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

2. विषय विशेषज्ञ (पेसा) :-

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/मानव विकास/सोशल वर्क/ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यकम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में 03 वर्ष का समान प्रकृति के कार्य का अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।

3. विषय विशेषज्ञ (Account & Audit) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Account & Audit)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से M.Com./MBA (Finance) में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।

4. विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर सांईस/आईटी) /एम.सी.ए. में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।

5. विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन/राजनीतिशास्त्र/लोकप्रशासन में 02 वर्षीय पाठ्यकम स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।

6. सहायक राज्य समन्वयक (RGSA) :-

पद :- सहायक राज्य समन्वयक (RGSA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष

क्रमशः

न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण। 2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20% साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 36,500/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :–

पद :– डाटा एन्ट्री ऑपरेटर						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2	अनसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	0	0	0	01
4.	अनुसूचित जनजाति	02	0	0	0	02
कुल योग :–		06	0	0	0	06

- **शैक्षणिक अर्हता :–**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार–10% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 30%

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 23,350/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

8. सहायक ग्रेड–03 (पंचायत संचालनालय हेतु 02 एवं एस.आई.आर.डी. निमोरा हेतु 02):–

पद :– सहायक ग्रेड–03						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2.	अनसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	01
कुल योग :–		04	0	0	0	04

- **शैक्षणिक अर्हता :–**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 5000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार– 10% शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता) कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 30%

संविदा मासिक मानदेय राशि 18,000/- एकमुश्त प्रतिमाह। उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :-

01. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।
02. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
03. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
04. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
05. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
06. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
07. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
08. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
09. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
11. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
12. राज्य एवं जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए तथा उनमें से 01 पद के विरूद्ध 05 प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तद्धपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
13. मूल प्रमाण पत्रों की जांच / कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा / साक्षात्कार के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
17. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
18. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
19. नियुक्ति के संबंध में संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

संचालक
पंचायत संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय दूरभाष क.-07868-241282, फैक्स क्र.-07868-241482,
ई-मेल zp-kanker.cg@nic.in

क्रमांक/13642 / जि.पं./DAY, NRLM/2024-25 कांकेर, दिनांक 20/03/2025

मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर का पत्र क्र./3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर दिनांक 17.01.2025 में दिए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत कांकेर द्वारा विभिन्न जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में निम्नानुसार स्वीकृत रिक्त पद एकमुश्त मासिक वेतन आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से दिनांक 19/04/2025. को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत उ.ब. कांकेर के नाम से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु वेबसाईट www.kanker.gov.in जिले की वेबसाइट में दिये गये स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती" से संबंधित सभी जानकारी/नियम-शर्तें, पदवार निर्धारित योग्यता/अर्हता, पदवार आरक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर

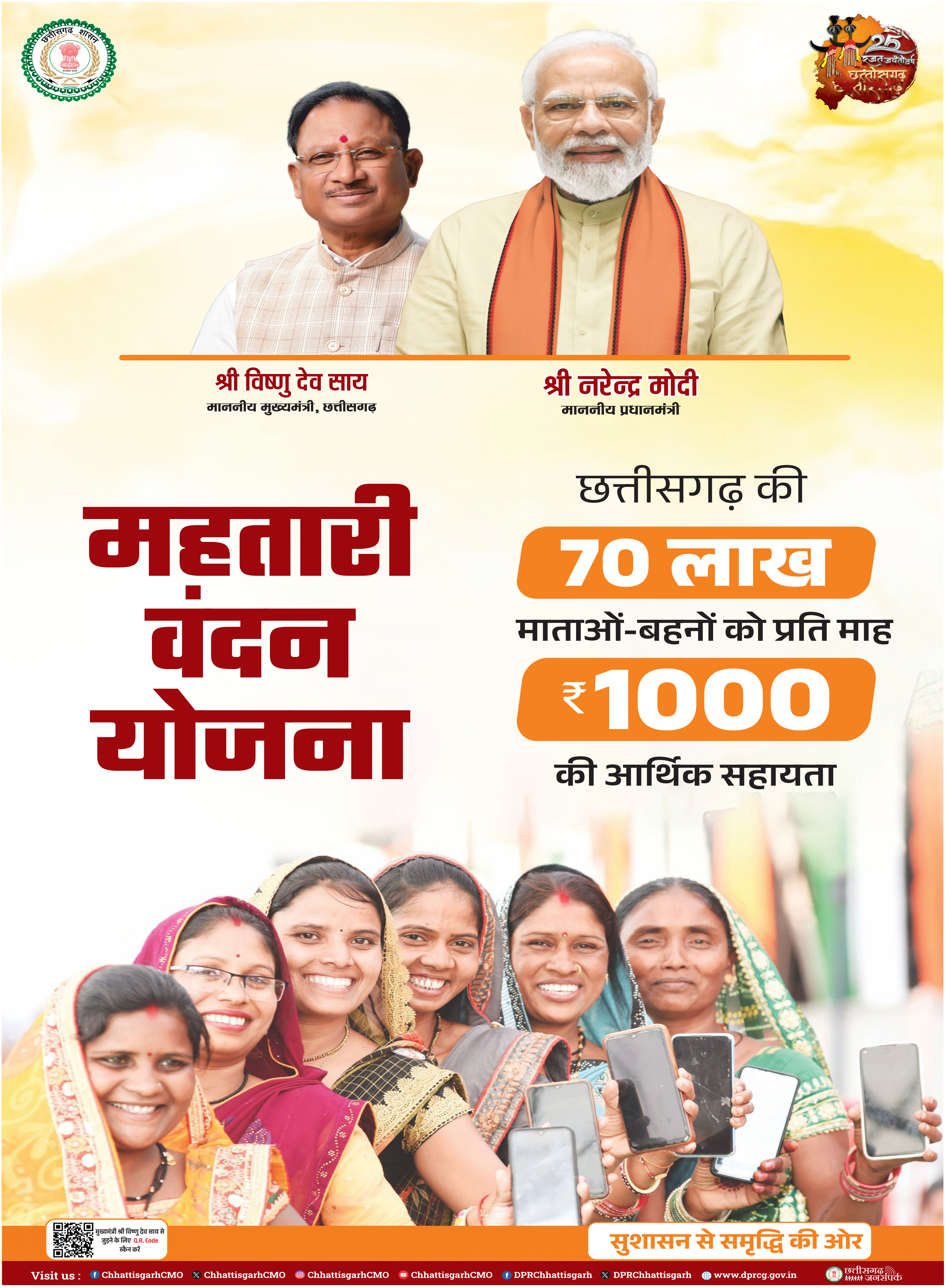
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
महतारी वंदन योजना
छत्तीसगढ़ की
70 लाख
माताओं-बहनों को प्रति माह
₹1000
की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो